[2020] 2 उम. नि. प. 1

भावना बाई

बनाम

घनश्याम और अन्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 1820]

3 दिसंबर, 2019

न्यायमूर्ति आर. बानुमती, न्यामूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 227 और 228 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 302] – सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाना – आरोप विरचित करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग न करने और कारण लेखबद्ध न करने के आधार पर अपील न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को उन्मोचित किया जाना – जहां पक्षकारों को सुनने और अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथनों पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने और आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो न्यायालय अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और न्यायालय को इस प्रक्रम पर विस्तारपूर्वक कारण लेखबद्ध करना अपेक्षित नहीं है ।

शिकायतकर्ता का पति गोपाल सरन तारीख 24 दिसंबर, 2015 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न में यह कहकर गया कि भोजन बनाकर रखना, क्योंकि वह खेत की जुताई करने के लिए बाहर जा रहा है और 9.00-10.00 बजे अपराह्न में वापस आएगा । गोपाल सरन जब आधी रात 12.00 बजे तक भी घर वापस नहीं आया, तब उसकी पत्नी भावना बाई, इस अपील में अपीलार्थी ने उससे मोबाइल पर संपर्क किया, किंतु

उसने फोन नहीं उठाया । अपीलार्थी ने अपने ससुर को सूचित किया, जिसने मृतक को ढूंढ़ने की कोशिश की और मृतक के बारे में कोई सूचना नहीं थी । अगले दिन सुबह लगभग 8.00 बजे अपीलार्थी-शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को पड़ौसियों से यह पता चला कि गोपाल सरन प्रथम प्रत्यर्थी-घनश्याम के खेत में टैंक/हौज में पड़ा हुआ है । जब उसने अपने पति के पास जाने की कोशिश की तो गणेश पुत्र मोहन लाल कुशवाहा ने उसे अपने पति के निकट जाने से रोक दिया और एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसे अपने पति को देखने नहीं दिया । गोपाल सरन के शव को राजकीय अस्पताल में ले जाया गया । अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का यह अभिकथन था कि उसे सूचित किए बिना ही उसके पति की मरणोत्तर परीक्षा की गई थी । अन्वेषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन 2015 की मर्ग सं. 94 रजिस्ट्रीकृत की गई थी, किंतु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था । अपीलार्थी ने तारीख 31 दिसंबर, 2015 को पुलिस अधीक्षक, खरगांव के समक्ष एक लिखित शिकायत दी और इसके बावजूद कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया । उसके पश्चात् शिकायतकर्ता-अपीलार्थी ने तारीख 12 अप्रैल, 2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसरावाड़ के समक्ष एक परिवाद फाइल किया । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद को स्वीकार किया और भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना कसरावाड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने और अन्वेषण करने का निदेश दिया । भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन 2016 के अपराध सं. 145 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मध्य प्रदेश राज्य ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के निदेश को चुनौती देते हुए 2016 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 300051 में अपर सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उक्त पुनरीक्षण आवेदन को तारीख 27 अक्तूबर, 2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । प्रत्यर्थी सं. 1 और 2/अभियुक्त सं. 1 और 2 ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की और इस प्रार्थना को विद्वान् विशेष न्यायाधीश अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पश्चिम निमाड, मंडलेश्वर द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की और उच्च न्यायालय ने उनको तारीख 19 सितंबर, 2018 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर कर दी । अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने अग्रिम जमानत मंजूर करने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) फाइल की, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने तारीख 14 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा सूचना जारी की । इसी बीच, अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध तारीख 26 सितंबर, 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल कर दिया गया । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर ने अभियोजन पक्ष तथा प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को सुनने के उपरांत तारीख 12 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा यह पाया कि अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए । प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने आरोप विरचित करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए और आरोप विरचित करने के लिए संक्षिप्त रीति में कारण दिए जाने चाहिए और विचारण न्यायालय आरोप विरचित करते समय अपने विवेक का प्रयोग करने में असफल रहा है, तारीख 25 फरवरी, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध आरोपों को अभिखंडित कर दिया और उन्हें उन्मोचित कर दिया । अपीलार्थी-परिवादी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – आरोप पत्र में अभिकथनों के अनुसार मृतक को अंतिम बार अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के साथ जीवित देखा गया था । घनश्याम की पत्नी उषा और पुत्री निशा के कथन के अनुसार अभियुक्त-

प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 तारीख 24 दिसंबर, 2015 को रात्रि में 9.00 बजे घर वापस आए थे । यद्यपि मृतक का शव प्रत्यर्थी-अभियुक्त घनश्याम के खेत में पाया गया था, तो भी उसने मृतक गोपाल सरन के परिवार को सूचित नहीं किया और न ही इसके बारे में पुलिस को सूचित किया । अपीलार्थी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किए गए परिवाद में अपीलार्थी ने यह भी कथन किया था कि "जब वह दौड़ती हुई अपने पति के शव के निकट गई तो घनश्याम के पुत्र गणेश ने उसे पकड़ लिया और अपने मकान में उसे एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसे अपने पति के शव के निकट नहीं जाने दिया" । आरोप पत्र में अभिकथनों से यह भी सुझाव मिलता है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 का पूर्व में मृतक गोपाल सरन के साथ झगड़ा हुआ था और इससे अपराध के लिए हेतु का सुझाव मिलता है । यद्यपि आरोप पत्र में अभिकथित परिस्थितियां विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध की जानी हैं, तो भी आरोप पत्र में अभिकथनों से अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित परिस्थितियों से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं । आरोपों को विरचित करते समय केवल प्रथमदृष्ट्या मामला देखा जाना चाहिए; क्या मामला युक्तियुक्त संदेह के परे है या नहीं, इस प्रक्रम पर नहीं देखा जाना चाहिए । आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है । सामग्री का मूल्यांकन करते समय सबूत का कठोर मानदंड अपेक्षित नहीं है; अभियुक्त के विरुद्ध केवल प्रथमदृष्ट्या मामला देखा जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश की पक्षकारों को सुनने और आरोप पत्र में किए गए अभिकथनों पर विचार करने के उपरांत यह राय थी कि यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध किया है । आरोप विरचित करते हुए तारीख 12 दिसंबर, 2018 का आदेश एक विस्तृत आदेश नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए न्यायाधीश से यह अपेक्षित नहीं है कि वह

विस्तार से कारणों को अभिलिखित करे । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय के लिए विस्तृत जांच करना अपेक्षित नहीं है; केवल प्रथमदृष्ट्या मामला देखा जाना चाहिए । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश का पक्षकारों को सुनने के उपरांत और अभिकथनों के आधार पर तथा आरोप पत्र में किए गए अभिकथनों पर विचार करने पर यह समाधान हो गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध आरोप विरचित किए थे, जबकि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करके ठीक नहीं किया था और इस न्यायालय के मत में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों को अभिखंडित करके गलती की है । अतः आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए । (पैरा 11, 12 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 13 एस. सी. सी. 137: **दिनेश तिवारी** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ;	15
[2012]	(2012) 9 एस. सी. सी. 460 : **अमित कपूर** बनाम **रमेश चंद्र और एक अन्य** ;	14
[2000]	(2000) 1 एस. सी. सी. 722: **कनाती भद्र साह और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ।	16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 1820.

2019 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 402 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ के तारीख 25 फरवरी, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बिजन कुमार घोष

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री संतोष कुमार, शेखर कुमार, विभूति सुशांत गुप्ता, मुस्ताक अहमद, हर्ष पाराशर (सुश्री) तानवी भटनागर और चाणक्य शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. बानुमती – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2019 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 402 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2019 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 और 2/अभियुक्त सं. 1 और 2 के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोपों को अभिखंडित कर दिया था ।

3. वे संक्षिप्त तथ्य, जिनके कारण यह अपील फाइल की गई है, निम्नलिखित हैं :–

शिकायतकर्ता का पति गोपाल सरन तारीख 24 दिसंबर, 2015 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न में यह कहकर गया कि भोजन बनाकर रखना, क्योंकि वह खेत की जुताई करने के लिए बाहर जा रहा है और 9.00-10.00 बजे अपराह्न में वापस आएगा । गोपाल सरन जब आधी रात 12.00 बजे तक भी घर वापस नहीं आया, तब उसकी पत्नी भावना बाई, इस अपील में अपीलार्थी ने उससे मोबाइल पर संपर्क किया, किंतु उसने फोन नहीं उठाया । अपीलार्थी ने अपने ससुर को सूचित किया, जिसने मृतक को ढूंढ़ने की कोशिश की और मृतक के बारे में कोई सूचना नहीं थी । अगले दिन सुबह लगभग 8.00 बजे अपीलार्थी-शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को पड़ौसियों से यह पता चला कि गोपाल सरन प्रथम प्रत्यर्थी-घनश्याम के खेत में टैंक/हौज में पड़ा हुआ है । अपीलार्थी का यह अभिकथन है कि जब उसने अपने पति के पास जाने की कोशिश की तो गणेश पुत्र मोहन लाल कुशवाहा ने उसे अपने पति के निकट जाने से रोक दिया और एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसे

अपने पति को देखने नहीं दिया । गोपाल सरन के शव को राजकीय अस्पताल में ले जाया गया । अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का यह अभिकथन है कि उसे सूचित किए बिना ही उसके पति की मरणोत्तर परीक्षा की गई थी । अन्वेषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन 2015 की मर्ग सं. 94 रजिस्ट्रीकृत की गई थी, किंतु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया था ।

4. अपीलार्थी ने तारीख 31 दिसंबर, 2015 को पुलिस अधीक्षक, खरगांव के समक्ष एक लिखित शिकायत दी और इसके बावजूद कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया । उसके पश्चात् शिकायतकर्ता-अपीलार्थी ने तारीख 12 अप्रैल, 2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसरावाड़ के समक्ष एक परिवाद फाइल किया । विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद को स्वीकार किया और भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना कसरावाड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने और अन्वेषण करने का निदेश दिया । भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन 2016 के अपराध सं. 145 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मध्य प्रदेश राज्य ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के निदेश को चुनौती देते हुए 2016 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 300051 में अपर सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उक्त पुनरीक्षण आवेदन को तारीख 27 अक्तूबर, 2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया ।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 और 2/अभियुक्त सं. 1 और 2 ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की और इस प्रार्थना को विद्वान् विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पश्चिम निमाड, मंडलेश्वर द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की और उच्च न्यायालय ने उनको तारीख 19 सितंबर, 2018 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर कर दी । अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने अग्रिम जमानत

मंजूर करने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) डायरी सं. 39785/2018 फाइल की, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने तारीख 14 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा सूचना जारी की । इसी बीच, अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध तारीख 26 सितंबर, 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल कर दिया गया । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर ने अभियोजन पक्ष तथा प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को सुनने के उपरांत तारीख 12 दिसंबर, 2018 के आदेश द्वारा यह पाया कि अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए ।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने आरोप विरचित करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए और आरोप विरचित करने के लिए संक्षिप्त रीति में कारण दिए जाने चाहिए और विचारण न्यायालय आरोप विरचित करते समय अपने विवेक का प्रयोग करने में असफल रहा है, तारीख 25 फरवरी, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध आरोपों को अभिखंडित कर दिया और उन्हें उन्मोचित कर दिया । अपीलार्थी-परिवादी ने व्यथित होकर यह अपील फाइल की है ।

7. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री बिजन कुमार घोष ने यह दलील दी कि "अंतिम बार देखे जाने", "शव की बरामदगी", "शव की बरामदगी के उपरांत तुरंत विपदग्रस्त के परिवार को सूचित न करना", "पुलिस को सूचित न करना", "ट्रैक्टर सहित शव के अन्य सामान की बरामदगी", जैसी परिस्थितियां और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 को गोपाल सरन की मृत्यु से संबद्ध करने वाली ऐसी अन्य परिस्थितियां होने और उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान् द्वितीय अपर सेशन ने अपना यह समाधान किया कि

अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जब विचारण न्यायाधीश का ऐसा समाधान हो गया था कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो उच्च न्यायालय को अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोपों को अभिखंडित नहीं करना चाहिए था ।

8. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री हर्ष पाराशर ने दलीलों को दोहराया और यह निवेदन किया कि आरोप पत्र में किए गए प्रकथन और उनमें उपदर्शित परिस्थितियां प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 को घटना से संबद्ध करने के लिए प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त हैं और ऐसा होते हुए उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करके और आरोपों को अभिखंडित करके गलती की है ।

9. अभिययुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री संतोष कुमार ने यह दलील दी कि भले ही आरोप पत्र में किए गए प्रकथनों को स्वीकार किया जाए, अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है और विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था तथा उच्च न्यायालय ने मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों को ठीक ही अभिखंडित किया था और इसलिए आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं है ।

10. हमने दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया ।

11. आरोप पत्र में अभिकथनों के अनुसार घटना की तारीख अर्थात् 24 दिसंबर, 2015 को अभियुक्त-प्रत्यर्थी घनश्याम और भगवान मृतक गोपाल सरन के साथ घनश्याम के खेत में ट्रैक्टर से भूमि की जुताई करने के लिए गए थे और सभी तीनों व्यक्तियों ने घटनास्थल पर एक-साथ शराब पी थी । इस प्रकार, आरोप पत्र में अभिकथनों के अनुसार

मृतक को अंतिम बार अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के साथ जीवित देखा गया था । घनश्याम की पत्नी उषा और पुत्री निशा के कथन के अनुसार अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 तारीख 24 दिसंबर, 2015 को रात्रि में 9.00 बजे घर वापस आए थे । यद्यपि मृतक का शव प्रत्यर्थी-अभियुक्त घनश्याम के खेत में पाया गया था, तो भी उसने मृतक गोपाल सरन के परिवार को सूचित नहीं किया और न ही इसके बारे में पुलिस को सूचित किया । अपीलार्थी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किए गए परिवाद में अपीलार्थी ने यह भी कथन किया था कि "जब वह दौड़ती हुई अपने पति के शव के निकट गई तो घनश्याम के पुत्र गणेश ने उसे पकड़ लिया और अपने मकान में उसे एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसे अपने पति के शव के निकट नहीं जाने दिया" । आरोप पत्र में अभिकथनों से यह भी सुझाव मिलता है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 का पूर्व में मृतक गोपाल सरन के साथ झगड़ा हुआ था और इससे अपराध के लिए हेतु का सुझाव मिलता है ।

12. यद्यपि आरोप पत्र में अभिकथित परिस्थितियां विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध की जानी हैं, तो भी आरोप पत्र में अभिकथनों से अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित परिस्थितियों से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं । आरोपों को विरचित करते समय केवल प्रथमदृष्ट्या मामला देखा जाना चाहिए ; क्या मामला युक्तियुक्त संदेह के परे है या नहीं, इस प्रक्रम पर नहीं देखा जाना चाहिए । आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है । सामग्री का मूल्यांकन करते समय सबूत का कठोर मानदंड अपेक्षित नहीं है ; अभियुक्त के विरुद्ध केवल प्रथमदृष्ट्या मामला देखा जाना चाहिए ।

13. दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 18 "सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण" के संबंध में है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 226 के अनुसार, लोक अभियोजक से यह अपेक्षित है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए सेशन न्यायालय के समक्ष मामला

प्रस्तुत करे और यह उल्लेख करे कि किस साक्ष्य द्वारा वह अभियुक्त की दोषिता को साबित करने की प्रस्थापना करता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 उन्मोचन के संबंध में है और यह निम्न प्रकार से है :–

> "227. उन्मोचन – यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।"

14. **अमित कपूर** बनाम **रमेश चंद्र और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 की व्याप्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "17. जब तक संहिता की धारा 227 के अधीन अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता है, संहिता की धारा 228 के निबंधनों के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करना अधिकारिता का प्रयोग है । इन दोनों उपबंधों के अधीन न्यायालय के लिए 'मामले के अभिलेख' और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करना अपेक्षित है और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा या जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है और उसकी राय में यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो वह आरोप विरचित करेगा । जब एक बार तथ्य और इस धारा के संघटक विद्यमान हों, तब न्यायालय यह उपधारणा करने में सही होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आधार है और तद्नुसार आरोप विरचित करेगा । यह उपधारणा विधि की उपधारणा के समान नहीं है । अपराध के संघटकों की विद्यमानता और उस अपराध से संबंधित तथ्यों के संबंध में न्यायालय का

---

[1] (2012) 9 एस. सी. सी. 460.

समाधान ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अत्यावश्यक है । यह समाधान हालांकि प्रथमदृष्ट्या मामले की अपेक्षा कमजोर हो सकता है । संहिता की धारा 227 और 228 की भाषा के बीच एक स्पष्ट विभेद है । धारा 227 न्यायालय की निश्चित राय और निर्णय की अभिव्यक्ति है, जबकि धारा 228 अनंतिम है । इस प्रकार, यह कहना कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय को यह राय बनानी चाहिए कि अभियुक्त निश्चित रूप से अपराध कारित करने का दोषी है, ऐसा दृष्टिकोण है जो संहिता की धारा 228 के निबंधनों के अनुसार अननुज्ञेय है ।

.....

19. आरोप विरचित करने के आरंभिक प्रक्रम पर न्यायालय का सरोकार सबूत से नहीं होता है अपितु ऐसे प्रबल संदेह से होता है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, जो, जिसका यदि विचारण किया जाए, तो उसे दोषी साबित कर सकता है । न्यायालय को जिस बात पर विचार करना चाहिए, वह यह है कि अभिलेख पर सामग्री और तथ्य अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत हैं या नहीं । दोषिता की अंतिम कसौटी का इस प्रक्रम पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । हम बिहार राज्य **बनाम** रमेश सिंह {[1978] 3 उम. नि. प. 897 = (1977) 4 एस. सी. सी. 39} वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को निर्दिष्ट कर सकते हैं :–

> 'संहिता की धारा 226 के अधीन अभियोजन के लिए मामला आरंभ करते समय अभियोजक को अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करना होता है और यह कथन करना होता है कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है । तत्पश्चात् आरंभिक स्तर पर न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह मामले के अभिलेख और उसके साथ पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार करे और उस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन द्वारा किए गए निवेदनों की सुनवाई करे । उसके पश्चात्

न्यायाधीश को संहिता की धारा 227 या 228 के अधीन आदेश पारित करना होता है । यदि 'न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।' जैसा कि धारा 227 के अधीन व्यादिष्ट है । दूसरी ओर, यदि न्यायाधीश की यह राय है कि यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो –

.....

(ख) अनन्यत: न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा, जैसा कि धारा 228 में उपबंधित है । दोनों उपबंधों को एक साथ पढ़ने पर, जैसे कि उन्हें पढ़ना चाहिए, यह स्पष्ट हो जाएगा कि विचारण के शुरू में तथा आरंभिक प्रक्रम पर उस साक्ष्य की, जिसे पेश करने की अभियोजक ने प्रस्थापना की है, सत्यता, यथार्थ और प्रभाव का अतिसावधानी से निर्णय नहीं किया जाना चाहिए और न ही अभियुक्त की संभाव्य प्रतिरक्षा को कोई महत्व दिया जाना चाहिए । न्यायाधीश के लिए यह बाध्यकर नहीं है कि वह विचारण के उस प्रक्रम पर विस्तार से विचार करे और भावुकता की दृष्टि से उसकी जांच करे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाएं, अभियुक्त को निर्दोषिता से असंगत होंगे या नहीं । परख और निर्णय का वह स्तर, जो अभियुक्त के दोष के बारे में या अन्यथा निष्कर्ष अभिलिखित किए जाने के लिए अंतिम रूप से लागू किया जाना होता है, संहिता की धारा 227 या 228 के अधीन मामले का विनिश्चय करने के प्रक्रम पर यथार्थत: लागू नहीं किया जाना होता है । उस प्रक्रम पर न्यायालय को यह नहीं देखना होता है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हैं अथवा क्या यह निश्चित है कि विचारण का अंत उसकी दोषसिद्धि होगा । अभियुक्त के विरुद्ध अत्यधिक संदेह,

यदि वह विषय संदेह की सीमा तक रहे, विचारण की समाप्ति पर उसके दोष के सबूत का स्थान नहीं हो सकता है । किंतु आरंभिक प्रक्रम पर चाहे ऐसा अत्यधिक संदेह हो, जिससे न्यायालय को यह विचार करना पड़े कि यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तब न्यायालय यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं । अभियुक्त के दोष की अवधारणा, जो आरंभिक प्रक्रम पर की जाती है, फ्रांस में दांडिक मामलों में विचारण को लागू होने वाले विधि के अर्थ में नहीं है, जहां तब तक अपराधी के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह दोषी है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता । किंतु यह केवल प्रथमदृष्ट्या विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए है कि क्या न्यायालय को विचारण के लिए अग्रसर होना चाहिए या नहीं । यदि वह साक्ष्य जो अभियोजक अभियुक्त के दोष को साबित करने की प्रस्थापना करता है, प्रतिपरीक्षा में आक्षेप किए जाने से पूर्व पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है या प्रतिरक्षा साक्ष्य द्वारा, यदि कोई हो, खंडित किया जाता है, यह दर्शित नहीं कर सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तब विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए कोई आधार नहीं होगा । यह उपदर्शित करने के लिए कि किससे एक अथवा दूसरा निष्कर्ष निकलेगा, परिस्थितियों की सांगोपांग सूची देना न तो संभव है न उचित ही । हम एक और उदाहरण देकर विधि के अंतर को स्पष्ट करेंगे । यदि विचारण की समाप्ति के समय अभियुक्त के दोष या निर्दोषिता की बाबत पलड़े बराबर-बराबर हों तो बात संदेह के फायदे के सिद्धांत पर मामले का अंत उसकी दोषमुक्ति में होना चाहिए । किंतु यदि दूसरी ओर धारा 227 या धारा 228 के अधीन आदेश करने के आरंभिक प्रक्रम पर ऐसा है, तब ऐसी स्थिति में आम तौर पर और साधारणतया जो आदेश दिया जाना होता है, वह धारा 228 के अधीन दिया जाएगा न कि धारा 227 के अधीन' ।"

15. **दिनेश तिवारी** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए न्यायाधीश के लिए उन विस्तृत कारणों को अभिलिखित करना अपेक्षित नहीं है कि क्यों ऐसा आरोप विरचित किया गया है । अभिलेख का परिशीलन करने और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यदि न्यायाधीश की यह राय है कि यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध कारित किया है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे अपराध के लिए आरोप विरचित करेगा ।

16. जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रस्तुत मामले में विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश की पक्षकारों को सुनने और आरोप पत्र में किए गए अभिकथनों पर विचार करने के उपरांत यह राय थी कि यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध किया है । आरोप विरचित करते हुए तारीख 12 दिसंबर, 2018 का आदेश एक विस्तृत आदेश नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए न्यायाधीश से यह अपेक्षित नहीं है कि वह विस्तार से कारणों को अभिलिखित करे । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय के लिए विस्तृत जांच करना अपेक्षित नहीं है; केवल प्रथमदृष्ट्या मामला देखा जाना चाहिए । जैसा कि **कनाती भद्र साह और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायाधीश के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करना अपेक्षित नहीं है । विद्वान् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश का पक्षकारों को सुनने के उपरांत और अभिकथनों के आधार

---

[1] (2014) 13 एस. सी. सी. 137.

[2] (2000) 1 एस. सी. सी. 722.

पर तथा आरोप पत्र में किए गए अभिकथनों पर विचार करने पर यह समाधान हो गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध आरोप विरचित किए थे, जबकि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करके ठीक नहीं किया था और हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों को अभिखंडित करके गलती की है । अत: आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए ।

17. परिणामत:, 2019 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 402 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2019 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और यह अपील मंजूर की जाती है । सेशन विचारण मामला सं. एसटी/150/2018 प्रत्यावर्तित किया जाता है और द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश मामले में विधि के अनुसार कार्यवाही करेंगे । हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.